

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 154 /2021 दिनांक 14.01.2021

श्रीमती प्रीति चौधरी (RJ0843), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 26.11.2020 से 30.11.2020 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 25.11.2020 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित ।
2. दिनांक 01.12.2020 से 19.12.2020 तक 19 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 20.12.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित ।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से
14.1.2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/13/2015/ 427

दिनांक : 14.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 8380 दिनांक 22.12.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती प्रीति चौधरी (RJ0843), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) ।

सहायक रजिस्ट्रार